

AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड

चेक संग्रह नीति

विषय-सूची

1. परिचय.....	2
2. मार्गदर्शक सिद्धांत.....	2
3. विभिन्न प्रकार के चेक/लिखतों की व्यवस्था.....	2
4. स्थानीय/बाहरी जगह के चेक का तुरंत क्रेडिट	3
5. स्थानीय/ बाहरी जगह के चेक की खरीद.....	4
6. PAR पर देय	4
7. स्थानीय/बाहरी जगह के चेक के संग्रह के लिए समय-सीमा	4
8. क्षतिपूर्ति नीति.....	5
9. ट्रांज़िट में / निकासी प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खोए हुए चेक/लिखत	6
10. अप्रत्याशित घटना	6
11. लिखत की अस्वीकृति	7
12. सेवा शुल्क.....	9
13. शब्दकोष.....	9
अनुलग्नक 1 – चेक अस्वीकृति कोड	10

1. परिचय

- 1.1 1 नवंबर 2004 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने इनके संबंध में अपने पहले के निर्देशों को वापस ले लिया है 1) स्थानीय/ बाहरी चेक का तत्काल क्रेडिट, 2) स्थानीय/ बाहरी चेक/लिखत संग्रह के लिए समय-सीमा और 3) विलंबित संग्रह पर ब्याज का भुगतान। इसकी जगह, RBI ने सभी बैंकों को ऊपर बताए गए सभी पहलुओं को शामिल करते हुए चेक संग्रह और परिवहन में खोए हुए लिखतों के लिए व्यापक और पारदर्शी नीति तैयार करने की सलाह दी है।
- 1.2 चेक संग्रह नीति में बैंक द्वारा खुद से निर्धारित मानकों के गैर-पालन में देरी के कारण ब्याज के भुगतान के माध्यम से बैंक की देयता बताई गई है। ब्याज के भुगतान के ज़रिए मुआवजा, जहां आवश्यक हो, ग्राहक के किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।

2. मार्गदर्शक सिद्धांत

बैंक की चेक संग्रह नीति ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और प्रदर्शन के लिए उच्च मानक निर्धारित करने के उसके प्रयास को दर्शाती है। यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। भुगतान और निपटान प्रक्रिया में तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएं और सुविधा देने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है।

3. विभिन्न प्रकार के चेक/लिखतों की व्यवस्था

3.1 स्थानीय चेक

- 3.1.1 स्थानीय रूप से भुगतान योग्य सभी चेक को प्रचलित निकासी प्रणाली के ज़रिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

निर्दिष्ट अंतिम समय से पहले शाखा काउंटरों पर और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बॉक्स में जमा किए गए चेक को समान दिन को निकासी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राहकों के लाभ के लिए चेक ड्रॉप बॉक्स और शाखाओं में लागू अंतिम समय दिखाया जाएगा। अंतिम समय के बाद और शाखा परिसर के बाहर रखे संग्रह बॉक्स में जमा किए गए चेक को अगले दिन निकासी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

- 3.1.2 बैंक ग्राहक के खाते में समान दिन को क्रेडिट देगा और निकासी के निपटान का कार्य करेगा। निकासी गृह के चेक वापसी शेड्यूल से यह निर्धारित होगा कि इस तरह क्रेडिट की गई राशि को कब निकाला जा सकता है।
- 3.1.3 जिन केंद्रों पर कोई निकासी गृह मौजूद नहीं है, वहां स्थित बैंक शाखाओं में स्थानीय चेक को काउंटर पर अदाकर्ता बैंकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बैंक जल्द से जल्द राशि जमा करने का प्रयास करेगा, इसमें ग्राहक द्वारा जमा करने की तिथि से 3 कार्य दिवस से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

3.2 तेज़ निकासी

- बाहरी जगह के चेक के तेज़ संग्रह की सुविधा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में लागू कोर-बैंकिंग-समाधान (CBS) का लाभ उठाकर तेज़ निकासी नामक विशेष निकासी प्रक्रिया शुरू की। संग्रह के आधार पर बाहरी जगह के चेक इकट्ठा करने में अदाकर्ता केंद्र के आधार पर लगभग एक से तीन सप्ताह लगते हैं, हालांकि तेज़ निकासी में, चेक से प्राप्त आय में स्थान के निकासी चक्र के आधार पर समय लगता है।
- तेज़ निकासी प्रक्रिया में स्रोत/इसके जमा स्थान पर बाहरी जगह के चेक की निकासी की सुविधा दी जाती है और अदाकर्ता के स्थान पर चेक का कोई भौतिक संचलन नहीं होगा। ग्राहक के खातों में डेबिट और हस्ताक्षरों के सत्यापन इत्यादि सहित भुगतान की पूरी प्रक्रिया को जमा स्थान पर शाखा द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

1.2 बाहरी जगह के चेक

- ग्राहकों द्वारा जमा किए गए चेक का संग्रह बैंक करते हैं जिनमें से कुछ गैर-स्थानीय बैंक शाखाओं पर भी आहरित किए जा सकते हैं, जिन्हें बाहरी जगह के चेक के रूप में जाना जाता है। बाहरी केंद्रों में अन्य बैंकों पर आहरित चेक आमतौर पर उन केंद्रों पर बैंक की शाखाओं के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

जहां बैंक की अपनी कोई शाखा नहीं है, वहां लिखत को संग्रह के लिए सीधे अदाकर्ता बैंक में भेजा जाएगा या संपर्ककर्ता बैंक के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

- बाहरी केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेक को मुख्य बैंकिंग समाधान नेटवर्क का उपयोग करके उसी दिन ग्राहक को क्रेडिट किया जाएगा

4. स्थानीय/बाहरी जगह के चेक का तुरंत क्रेडिट

4.1 नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार, ग्राहक के विशेष अनुरोध पर व्यक्तिगत बचत बैंक/चालू/नकद क्रेडिट खाताधारकों को बाहरी जगह के/स्थानीय चेक के लिए तुरंत क्रेडिट दिया जाएगा।

4.2 पात्रता मापदंड

- चेक की राशि 5000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी का खाता कम से कम एक वर्ष पहले का होना चाहिए।
- पिछले 6 महीनों में ग्राहक द्वारा जारी किए गए खाते में शून्य चेक वापसी।
- पिछले 6 महीने/2 तिमाहियों तक बनाए रखे गए उत्पाद की पेशकश के अनुसार औसत मासिक/त्रैमासिक शेष राशि।
- ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में तुरंत क्रेडिट सुविधा नहीं दी जाएगी।

- तुरंत क्रेडिट के तहत पहले से खरीदारी वाला कोई भी चेक, संग्रह के लिए बकाया/लंबित नहीं होना चाहिए या बिना भुगतान के वापस नहीं किया हुआ होना चाहिए।
- 4.3 यह सुविधा केवल उन चेक के लिए दी जाएगी जो बैंक की शाखा के स्थानों पर आहरित किए गए हैं।
- 4.4 सामान्य चेक संग्रह शुल्क लागू होंगे।
- 4.5 चेक वापसी और अदत्त चेक पर ब्याज की वसूली जहां तुरंत क्रेडिट दिया गया था:
 - 4.5.1 अगर चेक बिना भुगतान के लौटा दिया जाता है, तो चेक की राशि बचत बैंक ब्याज दर के साथ-साथ अवधि, यानी तुरंत क्रेडिट की तिथि से खाते में डेबिट की तिथि तक 2% के साथ खाते में तुरंत डेबिट हो जाएगी।
 - 4.5.2 ग्राहक से तुरंत क्रेडिट देने की तिथि से लिखत की वापसी की तिथि तक कोई ब्याज तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक बैंक के पास निधि की कमी न हो।
 - 4.5.3 बाहरी जगह के चेक के लिए लागू चेक वापसी शुल्क लगाया जाएगा।
 - 4.5.4 अगर चेक की राशि बचत बैंक खाते में जमा की गई थी और इसकी निकासी नहीं हुई थी, तो जमा की गई इस तरह की राशि ब्याज के भुगतान के लिए तब योग्य नहीं होगी जब चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है।

5. स्थानीय/ बाहरी जगह के चेक की खरीद

बैंक, अपने विवेक से, ग्राहक के विशेष अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रहण के लिए तय स्थानीय/बाहरी जगह के चेक खरीद सकता है। बैंक द्वारा चेक खरीदने से पहले खाते के संतोषजनक संचालन के साथ-साथ चेक के आहरणकर्ता की स्थिति पर विचार किया जाएगा

6. PAR पर देय

सममूल्य मानक चेक पर देय सभी ग्राहकों को जारी किए जाते हैं। बैंक सममूल्य चेक पर देय की राशि को कवर नहीं करता है और न ही सममूल्य चेक पर देय भुगतान के लिए कोई शुल्क लगाएगा।

7. स्थानीय/बाहरी जगह के चेक के संग्रह के लिए समय-सीमा

- 7.1 निकासी में प्रस्तुत स्थानीय चेक के लिए, राशि ग्राहक के खाते में निधियों के निपटान की तिथि को जमा की जाएगी और उन्हें वापसी निकासी मानदंडों के अनुसार निधि निकासी की अनुमति दी जाएगी।
- 7.2 भारत में केंद्रों पर संग्रहण के लिए भेजे गए चेक को निम्नलिखित समय-सीमा का पालन करना होगा:

(a) CTS केंद्रों पर देय चेक: अधिकतम 7 दिनों की अवधि।

(b) गैर CTS केंद्र: अधिकतम 10 दिनों की अवधि।

क्रेडिट की वास्तविक वसूली संबंधित ग्रिड पर लागू रिटर्न के लिए अंतिम टाइम के आधार पर भिन्न हो सकती है।

8. क्षतिपूर्ति नीति

8.1 स्थानीय चेक के विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान

8.1.1 अगर बताई गई समय अवधि के बाद क्रेडिट देने में देरी होती है, तो बैंक चेक राशि पर ग्राहक को लागू बचत खाता दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। इस तरह के ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से बिना किसी मांग के किया जाएगा। देरी से संग्रहण पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य के लिए बैंक की अपनी शाखाओं या दूसरे बैंकों पर आहरित लिखत के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

8.2 बाहरी जगह के चेक/भारत के बाहर देय चेक के विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान

8.2.1 अगर निर्धारित समय अवधि के बाद अधिक क्रेडिट देने में देरी होती है, तो क्षतिपूर्ति नीति के हिस्से के तौर पर ग्राहक को चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ग्राहकों से बिना किसी मांग के किया जाएगा।

8.2.2 विलंबित वसूली के लिए ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:

- (i) 7 / 10 / 14 से अधिक की देरी की अवधि के लिए बचत खाता बैंक दर, जैसा भी मामला हो, बाहरी जगह के चेक के संग्रह में हो सकता है।
- (ii) अगर 14 दिनों से अधिक विलंब होता है, तो देरी की अवधि के लिए सावधि जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- (iii) असामान्य देरी के मामले में, यानी 90 दिनों से अधिक की देरी, देरी की अवधि के लिए संबंधित सावधि जमा दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- (iv) अगर वसूली के अंतर्गत चेक की आय ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की जानी थी, तो ऋण खाते पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असामान्य देरी के लिए, ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

8.2.3 कुछ स्थानों पर जहां बैंक की कोई शाखा नहीं है, लिखत सीधे अदाकर्ता बैंक को संग्रह के लिए भेजा जाएगा या संवाददाता बैंक के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। राशि भेजने में अदाकर्ता बैंक की ओर से किसी भी अनुचित देरी की वजह से, बैंक ग्राहक को 14 कार्य दिवसों से अधिक किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

बैंक ग्राहकों को वे चेक देगा/उनके बारे में सूचित करेगा जो अदाकर्ता बैंकों से विलंबित हैं।

9. ट्रांज़िट में / निकासी प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खोए हुए चेक/लिखत

9.1 अगर संग्रह के लिए स्वीकार किया गया कोई चेक या लिखत ट्रांज़िट में या निकासी प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो:

- क्षति का पता चलने पर बैंक तुरंत खाताधारक को सूचित करेगा, ताकि खाताधारक भुगतान रोकने के लिए आहरणकर्ता को सूचित कर सके। इसके अलावा, उन्हें उनके द्वारा जारी किए गए चेक को खोए हुए चेक/लिखतों की राशि के क्रेडिट की कमी के कारण अनदेखा होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- बैंक ग्राहक को गैर-भुगतान प्रमाणपत्र देने जैसे चेक के आहरणकर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए सभी सहायता देगा।

9.2 ट्रांज़िट में चेक/लिखतों के खो होने की स्थिति में, बैंक अपनी क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार खाताधारक को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति करेगा:

- अगर बैंक ग्राहक को संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन जैसा भी मामला हो) के बाद लिखत के नुकसान के बारे में सूचित करता है, तो उक्त संग्रह अवधि से अधिक की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति नीति (अनुभाग 8.2.2) में ऊपर तय दरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- इसके अलावा, बैंक अगले 15 दिनों की अवधि के लिए बचत खाता बैंक दर पर चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा ताकि डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रह में संभावित अधिक देरी हो सके।
- अगर लिखत किसी ऐसे बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लीकेट इंस्ट्रुमेंट जारी करने के लिए शुल्क लेता है, तो बैंक ग्राहकों को 500/- रुपये तक के वास्तविक शुल्क के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, जो कि रसीद प्रस्तुत करने पर उन्हें डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने की वजह से हो सकता है।

9.3 विविध

- जिन चेक को पे-इन पर्ची में उल्लिखित गलत खाता संख्या के साथ जमा किया गया है, बैंक ऐसे चेक ग्राहकों को 48 कार्य घंटों में उल्लिखित पते पर वापस कर देगा, हालांकि अधूरे पते, अधूरे फोन नंबर, पे-इन पर्ची पर फोन नंबर न होने की स्थिति में, बैंक इन लिखतों को अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए रखने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
- वापस किए गए अदत्त चेक को बैंक के डेटाबेस में दर्ज पते पर 48 कार्य घंटों के भीतर डाक/कूरियर आदि द्वारा ग्राहक को लौटाया जाएगा। हालांकि, ग्राहक के पास वापस लौटने के लिए इन्हें बैंक में काउंटर पर तब रखा जाएगा जब ग्राहक इसके लिए अनुरोध करता है। अगर ग्राहक द्वारा 15 दिनों में एकत्र नहीं किया जाता है, तो बैंक उन्हें डाक या कूरियर द्वारा रिकॉर्ड पते पर वापस भेज देगा।

10. अप्रत्याशित घटना

अगर बैंक के नियंत्रण से परे कुछ अप्रत्याशित घटना, जिसमें नागरिक अशांति, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य श्रमिक समस्या, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य "प्रकृति प्रकोप", युद्ध, बैंक की सुविधाओं

या उसके संवाददाता बैंक (बैंकों) को नुकसान, इत्यादि शामिल हैं और जिसके कारण बैंक निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है, तो बैंक विलंबित क्रेडिट के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11. लिखत की अस्वीकृति

11.1 अस्वीकृत चेक की वापसी/प्रेषण की प्रक्रिया

11.1.1 भुगतानकर्ता बैंक को समाशोधन गृहों के माध्यम से प्रस्तुत अस्वीकृत चेक, बैंकों के समाशोधन गृह के लिए एकसमान विनियमों और नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार सख्ती से वापस करना चाहिए। ऐसे अस्वीकृत चेक प्राप्त होने पर संग्रहकर्ता बैंक को इसे तुरंत आदाताओं को भेज देना चाहिए।

11.1.2 अगर चेक, भुगतानकर्ता बैंक को उस बैंक के दो खातों के बीच हस्तांतरण के माध्यम से निपटान के लिए सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसे ऐसे अस्वीकृत चेक तुरंत आदाताओं को वापस कर देने चाहिए।

11.1.3 निधि की कमी के कारण अस्वीकृत चेक को "अपर्याप्त निधि" के रूप में अस्वीकृति का कारण बताते हुए ज्ञापन के साथ वापस किया जाना चाहिए।

11.2 अस्वीकृत चेक की जानकारी

11.2.1 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के प्रत्येक अस्वीकृत चेक के संबंध में सभी जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रणकर्ता कार्यालय/मुख्य कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

11.2.2 बैंक स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित सभी अस्वीकृत चेक की जानकारी को समेकित करेगा (ऐसे चेक की राशि पर ध्यान दिए बिना) और भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें मुख्य कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करेगा।

11.3 बार-बार अस्वीकृति की स्थितियों से निपटना

11.3.1 अगर 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि वाले चेक को अस्वीकृत किया जाता है

ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए, बैंक उन ग्राहक खातों के लिए नई चेक बुक जारी नहीं करेगा जहां 1 करोड़ या उससे अधिक राशि वाले चेक को विशेष वित्तीय वर्ष में 4 बार निधि की कमी के कारण का अस्वीकृत किया गया है। साथ ही, बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर

विचार कर सकता है

अगर वित्तीय वर्ष के दौरान आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर तीन बार चेक अस्वीकृत होता है, तो बैंक संबंधित ग्राहक को उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से जुड़ी सलाह देगा और वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही खाते में चौथी बार चेक अस्वीकृत होने की स्थिति में चेक सुविधा को पूरी तरह से रोकेगा। अगर बैंक खाता बंद करना चाहता है, तो इसी प्रकार की चेतावनी सूचना जारी की जा सकती है।

- 11.3.2 अगर 1 करोड़ रुपये से कम राशि वाले चेक को अस्वीकृत किया जाता है, तो ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए, बैंक 1 करोड़ रुपये से कम राशि वाले चेक की अस्वीकृति के मामलों को संभालने के लिए नीचे दी गई चीजों का उपयोग करेगा:

आवक चेक वापसी			
क्रम संख्या	श्रेणी	आवृत्ति	कार्रवाई
1.	एक महीने में 5 लाख से अधिक राशि वाले 5 या इससे अधिक चेक की वापसी	मासिक	ग्राहकों को सावधानी से जुड़ी सलाह भेजी जाएगी।
2.	लगातार दो महीने तक 10 या इससे अधिक चेक की वापसी (कोई भी राशि) प्रति माह	मासिक	ग्राहकों को सावधानी से जुड़ी सलाह भेजी जाएगी।
3.	लगातार दो महीने में एक महीने में 5 लाख से अधिक राशि वाले 5 या इससे अधिक	मासिक	ग्राहकों को बैंक द्वारा खाता बंद करने का पत्र भेजा जाएगा
4.	लगातार तीन महीने तक 10 या इससे अधिक चेक की वापसी (कोई भी राशि) प्रति माह	मासिक	ग्राहकों को बैंक द्वारा खाता बंद करने का पत्र भेजा जाएगा

- 11.4 विचार करने योग्य अन्य बातें

11.4.1 बैंक चेक की अस्वीकृति के तथ्य के सभी दस्तावेज़ी प्रमाण तब देगा जब आदाता को इसे किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

11.4.2 बैंक अस्वीकृत चेक के संबंध में सभी जानकारी को समेकित करेगा और तिमाही समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

11.4.3 आदाता को चेक की अस्वीकृति की सूचना देने से रोकने के क्रम में, चेक के आहरणकर्ता के साथ बैंक के कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की मिलीभगत को रोकने के लिए बैंक आवश्यक कदम उठाएगा। बैंक आदाता को अस्वीकृत चेक के संचार और वितरण के आंतरिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा।

12. सेवा शुल्क

दी गई सभी संग्रहण सेवाओं के लिए, बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा तय उचित सेवा शुल्क की वसूली करेगा और ग्राहक को बैंक द्वारा अपनाए गए ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता में दर्शाए अनुसार सूचित करेगा।

13. शब्दकोष

शब्द	विवरण
बैंक	बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को संदर्भित करता है
RBI	"रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (भारतीय रिज़र्व बैंक)" के लिए एक्रोनिम के तौर पर उपयोग किया जाता है
KYC	"अपने ग्राहक को जानें" के लिए एक्रोनिम के तौर पर उपयोग किया जाता है
चेक	चेक का अर्थ चेक और अन्य सभी परक्राम्य से है लिखत, उदाहरण के लिए डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज/लाभांश वारंट
चेक निकासी	यह उस बैंक से चेक को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें इसे आहरण वाले बैंक में इस तरह जमा किया गया था जिससे जमा वाले बैंक के खाते में यह जमा हो गया और आहरण वाले बैंक के खाते में समान राशि डेबिट हुई
प्रतिनिधि बैंक	यह उस बैंक/वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान की ओर से सेवाएं देता है, उदाहरण के लिए, व्यापार संबंधी लेनदेन करना, दस्तावेजों/लिखतों का संग्रहण आदि।
नोस्ट्रो खाता	यह विदेश में घरेलू बैंक के बैंक खाते को संदर्भित करता है, जो उस विदेश की मुद्रा में अंकित होता है। इनका उपयोग मुख्य तौर पर विदेशी मुद्रा और व्यापार लेनेदेन के निपटान के लिए किया जाता है
सममूल्य पर देय	यह उन चेक को संदर्भित करता है जिसे स्थानीय चेक समझा जाएगा, भले ही जारीकर्ता और अदाकर्ता बैंक किसी दूसरे शहर में स्थित हो। चेक की पूरी राशि बाहरी चेक शुल्क की कटौती के बिना ग्राहक के खाते में क्रेडिट की जाएगी।
CBS	यह बैंक द्वारा कार्यान्वित मुख्य बैंकिंग समाधान को संदर्भित करता है
केंद्रबिन्दु शाखा	यह ऐसी निर्दिष्ट शाखा को संदर्भित करता है जहां सरकारी चेक के सभी भुगतान स्कॉल रिपोर्टिंग, समाधान और लेनदेन के निपटान के लिए भेजे जाएंगे।

अनुलग्नक 1 – चेक अस्वीकृति कोड

कोड नंबर	वापसी का कारण
01	निधि अपर्याप्त है
02	व्यवस्था से अधिक है
03	प्रभाव साफ़ नहीं है, फिर से प्रस्तुति
04	आहरणकर्ता को संदर्भित करें
05	कृपया आहरणकर्ता से संपर्क करें! अदाकर्ता बैंक और कृपया फिर से प्रस्तुत करें
10	आहरणकर्ता का हस्ताक्षर अपूर्ण है
11	आहरणकर्ता का हस्ताक्षर अवैध है
12	आहरणकर्ता का हस्ताक्षर भिन्न है
13	आहरणकर्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता है
14	आहरणकर्ता का हस्ताक्षर जनादेश के अनुसार नहीं है
15	खाता संचालित करने के लिए आहरणकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त नहीं हुआ
16	खाता संचालित करने के लिए आहरणकर्ता को अनुमति प्राप्त नहीं हुई
17	परिवर्तन के लिए आहरणकर्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है
20	आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोका गया
21	अनुलग्नक के ऑर्डर पर भुगतान रोका गया
22	न्यायालय के ऑर्डर पर भुगतान रोका गया
23	खाताधारक की मृत्यु के कारण निकासी रोकी गई
24	खाताधारक की मानसिक स्थिति के कारण निकासी रोकी गई
25	खाताधारक के दिवालियापन के कारण निकासी रोकी गई
30	लिखत बाद की तिथि की है
31	लिखत काफी पुराना है/इसका समय समाप्त हो गया है
32	लिखत पर कोई तिथि नहीं है/उचित तिथि नहीं है
33	लिखत विकृत है; बैंक की गारंटी की आवश्यकता है
34	चेक अनियमित रूप से आहरित है/शब्दों और अंकों में राशि भिन्न है
35	समाशोधन गृह के स्टाम्प/तिथि की आवश्यकता है
36	गलत तरीके से वितरण किया गया/हमारे पास ड्रा नहीं किया गया
37	उचित क्षेत्र में मौजूद है
38	लिखत में बाहरी पदार्थ होते हैं
39	छवि स्पष्ट नहीं है; कागज के साथ फिर से प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
41	आइटम दो बार सूचीबद्ध है
42	पेपर नहीं मिला
50	खाता बंद है
51	खाता दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया गया
52	ऐसा कोई खाता नहीं
53	खाते के शीर्षक की आवश्यकता है
54	खाते का शीर्षक गलत/अधूरा है
55	खाता अवरुद्ध है (21-25 में शामिल स्थिति)
60	दो बैंकों के लिए क्रॉस किया गया है
61	क्रॉसिंग स्टैम्प रद्द नहीं किया गया है

62	निकासी स्टैम्प रद्द नहीं किया गया है
63	लिखत विशेष रूप से दूसरे बैंक के लिए क्रॉस किया गया है
64	सक्रिय क्रॉसिंग में राशि गलत है
65	सुरक्षात्मक क्रॉसिंग में राशि आवश्यक है/अपठनीय है
66	आदाता का समर्थन आवश्यक है
67	आदाता का समर्थन अनियमित है/इसे बैंक से पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है
68	निशान/अंगूठे के निशान द्वारा समर्थन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है मूहर के साथ
70	सलाह पर राशि/नाम भिन्न है
71	प्रायोजक बैंक के पास अदाकर्ता बैंक की निधि अपर्याप्त है
72	बैंक में आदाता का अलग से निर्वहन आवश्यक है
73	पहले आगामी माह का तक देय नहीं है
74	भुगतान ऑर्डर के लिए काउंटर पर हस्ताक्षर की आवश्यकता है
75	आवश्यक जानकारी पठनीय/सही नहीं है
80	बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/आवश्यक है
81	जारीकर्ता कार्यालय से ड्राफ्ट खी गया है; जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टि की आवश्यकता है
82	बैंक/शाखा अवरुद्ध है
83	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफल हो गया है
84	
87	
88	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
92	बैंक बहिष्कृत है